22-6-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी~~/~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-7-15 को कैम्प चूली पर पेश हो।

रीडर

3581-82
2016

3-7-15 पक्षकारान ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई पक्षकारो की ~~समझाइश की गई परन्तु~~ अनुपस्थिति के कारण राजीनामा नहीं हो पाया अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटाई जावें। पत्रा० सुनवाई हेतु दि० 22-7-15 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

22-7-15 वकील ~~उभयपक्ष~~ वादी उप० है। साक्ष्य हेतु पत्रावली दि० 31-8-2015 को पेश हो।

समन/लनोटिस

31.8.15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2.11.15 को पेश हो।

रीडर

2-11-15 वकील वादी उप० है। वकील वादी ने ~~अपनी~~ वादी की साक्ष्य कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की है परन्तु प्रतिवादी इसमें जबर्दस्ती मकान निर्माण करने पर उतारू है। अतः प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस पर मनन किया। अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का वाद डिक्री किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका[illegible] हुक्म [illegible] में ज[illegible]
	जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप[illegible] कलेक्टर गंगापु[illegible] (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
20/2014	13.2.2014	02.11.2015

गोपाल प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
--वादी

बनाम

देवीलाल पुत्र बत्तीलाल जाति गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
--प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः- श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 1698 रकबा 18 एयर, 1701 रकबा 50 एयर, 1702 रकबा 14 एयर ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी में है । प्रतिवादी व प्रतिवादी के परिजन वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 1702 पर शुरू से ही कब्जा करने की नियत रखते हैं। पूर्व में भी प्रतिवादी के पिता बत्तीलाल ने वादी की खातेदारी व कब्जे की आराजी ख0नं0 1702 के कब्जे काश्त वादी में मजाहमत पैदा की जिस पर वादी ने उक्त बत्तीलाल को पाबंद कराया । अब प्रतिवादी ग्राम पंचायत से इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान निर्माण हेतु अपनी आबादी में राशि मन्जूर कराकर उस राशि से आबादी के बजाय वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1702 के उत्तरी हिस्से में नाजायज रूप से कब्जा करने की गरज से निर्माण करने को आमादा है। जिस स्थान को वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल बिन्दु से दर्शाया है। प्रतिवादी की उक्त बदनियति का ज्ञान होने पर वादी ने दिनांक 27.1.2014 को प्रतिवादी से वादी की कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजी में मजाहमत पैदा नहीं करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा वह वादी की जमीन में मकान बनायेगा एवं वादी को जान से खत्म करने की धमकी दी । वादी झगडे की सूरत देखकर वहां से चला आया। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी ख0नं0 1702 के किसी भी हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग वादी में किसी प्रकार की कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे ना किसी अन्य से करावे तथा वादी की उक्त आराजी में किसी तरह का कोई निर्माण ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया । प्रतिवादी बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुआ अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नजरी नक्शा प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 प्रदर्श-2 पेश की है एवं वादी गोपाल प्रसाद शर्मा के बयान कराए हैं।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रतिवादी वादी की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में जबर्दस्ती मकान बनाना चाहता है जबकि वादी की भूमि से प्रतिवादी का कोई वास्ता नहीं है अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । नकल जमाबंदी प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि ख0नं0 1702 रकबा 14। एयर ग्राम चूली वादी गोपाल प्रसाद की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी स्वयं को नोटिस प्राप्त होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है एवं प्रतिवादी की ओर से कोई उज्र या जबाब भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की होने के कारण प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है कि वह वादी को इस भूमि के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न करे। फलस्वरूप वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0नं0 1702 रकबा 14 एयर ग्राम चूली के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में वादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं वादी की उपरोक्त भूमि में कोई निर्माण भी नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

Judi/Civil
Part IV-10

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

गोपाल प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

देवीलाल पुत्र बत्तीलाल जाति गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 133/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री –– **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0नं0 1702 रकबा 14 एयर ग्राम चूली के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में वादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं वादी की उपरोक्त भूमि में कोई निर्माण भी नहीं करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.11.2015 को जारी किया गया ।

उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		